

Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt e.V. Telefon: 0049 345 2260 9515 Mail: ror@fluechtlingsrat-lsa.de Kurallee 15 · 06114 Halle (Saale) WhatsApp: 0049 176 47600 813 Web: www.fluechtlingsrat-lsa.de/ror/

# निवास अन्मति (रेसीडेंट परमिट) पर जानकारी मानवीय कारणों के लिए अन्च्छेद 25.5 के अन्सार

#### मानविय करणो से निवास की अनुमति (रेसीडेंट परमिट) का क्या मतलब होता है?

अगर मुझे वापिस जाना पड़े (अपने देश) लेकिन किसी ठोस करणो से में वापिस जाने मे असमर्थ ह एसे में मुझे मानवीय कारणों के लिए निवास की अनुमति (रेसीडेंट परमिट) मिल सकती है। । इस प्रकार की निवास की अनुमति प्राप्त करने के कई सारे कारण है।

### मुझे मानवीय कारणों के लिए निवास की अनुमति कब मिल सकती है?

- जल्द नहीं बदलेंगे।

#### में वापिस नहीं जा सकता क्योंकि:

- मैं बह्त बीमार हं और मेरी बीमारी के कारण वापिस नहीं जा सकता
- 🕓 या मेरे पास जर्मनी में रहने वाले कुछ लोगों के साथ पारिवारिक संबंध है
- 🗣 या मैं यहाँ बह्त समय से रहता हूं और मैं यहां स्थायी ह्
- 🕓 या मेरे देश में पर्याप्त परिवहन (यातायात सुविधाएँ) नहीं हैं
- 🗣 या मेरे पास मेरे पास कोई पासपोर्ट नहीं है और दुतावास से कोई कागजात नहीं मिले अधिक जानकारी Mitwirkungspflicht पर।
- 🗸 मेरे पास पासपोर्ट या विदेशियों के लिए प्रवास-पास या अन्य पहचान पत्र (आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र, पंजीकरण रिकॉर्ड)
  - 🕓 या मैं साबित कर सकता हं कि मेरे पास पासपोर्ट या पहचान पत्र / विदेशियों के लिए प्रवास-पत्र (नया) है। महत्वपूर्ण है कि पासपोर्टे प्राप्त करने के प्रयास साबित करने योग्य हैं: उदाहरण के रूप से मूल देश के द्तावास से मिली लिखित पृष्टि या पासपोर्टिंग के उद्देश्य के लिए मूल देश में सरकारी अधिकारियों के संपर्क के प्रमाण से।
  - 🕓 या मैं साबित कर सकता हं कि निकट भविष्य में मुझे अपने देश के विदेश-मिशन से पहचान का दस्तावेज नहीं मिलेगा और आगे के प्रयास / प्रयास अस्वीकार्य हैं (यानी: मेरे लिए आवश्यक नहीं है)
  - 🕓 या पास्पोर्ट ना होने (कमी होने) के मामले में: मैं साबित कर सकता हं कि मैंने पासपोर्ट प्राप्त करने की और मेरी पहचान को स्पष्ट करने के लिए सबकुछ करने की कोशिश की है (यानी, "सहयोग करने के लिए कानूनी दायित्वों का पालन करना")।
- 🗸 मैं आर्थिक रूप से (50% से अधिक) आतम निर्भर हो के ख़ुद को पोषित कर सकता हूं या मुझे आजीविका जल्द ही प्राप्त हो सकती है ("सकारात्मक पूर्वान्मान"):
  - 🗸 मैं इन परिस्थितियों में सामाजिक सहायता का हकदार हं: शिक्षा या आउसबिल्ड्रॅंग, नाबालिग, अकेले माता-पिता की देखभाल करना या करीबी रिश्तेदारों की देखभाले करना
  - 🐤 या मैं बीमार हूं या शारीरिक या मानसिक क्षति है या मेरी उम्र के कारण काम नहीं कर सकता,
- ✓ मुझे जर्मन भाषा का मौखिक ज्ञान ए २ (A2) लेवल तक है,
- अगर मेरे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें स्कूल जाना पड़ता है, तो मैं बच्चों की स्कूल उपस्थिति साबित कर सकता हं,





Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt e.V. Telefon: 0049 345 2260 9515 Mail: ror@fluechtlingsrat-lsa.de WhatsApp: 0049 176 47 600 813 Web: www.fluechtlingsrat-lsa.de/ror/

# निवास अनुमति (रेसीडेंट परमिट) पर जानकारी मानवीय कारणों के लिए अन्च्छेद 25.5 के अनुसार

- अपराधों के लिए कोई दोषसिध्धि नहीं है, लेकिन: आपराधिक रिकॉर्ड के साथ भी निवास परमिट का अनुरोध किया जाना चाहिए,
- ✓ मैं जर्मनी में "मुक्त लोकतांत्रिक मुल आदेश" को स्वीकार करता हं: इसके लिए मैं आउसलांडर-बहयोर्ड (फ़ोरेन का\_ र्यालय) में दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर सकता हूं। दस्तावेज को पहेले पढ़ना और फिर साइन करना अच्छा होता है,
- ✓ मुझे "कानून, सामाजिक व्यवस्था और जर्मनी में रहने के तौर तरीक़े" पता है। नोट: कृपया परामर्श केंद्र से संपर्क करें क्योंकि आखिरकार सब्त जरूरी है।

#### और क्या महत्वपूर्ण है?

- सभी अन्रोधित दस्तावेजों के साथ आवेदन का समय मायने रखता है।
- कानून के अनुसार सभी आवश्यकताओं और दस्तावेज एक साथ उपस्थित होने चाहिए।
- फिर आउसलांडर-बह्योर्ड (फ़ोरेन कार्यालय) को निवास की अनुमति देनी होगी। कुछ विनिर्देशों के लिए अपवाद संभव है। आउसलांडर-बहयोर्ड को एक विवेकाधिकार है। विशेष रूप से यदि कोई शर्त / दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं है क्योंकि मैं इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं हूं।

सहयोग करने का दायित्व (MITWIRKUNGSPFLICHT) ज्यादातर पहचान पत्रों से संबंधित / आधारित है।

### यह सुनिश्चित करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं कि मेरी सहभागिता को पहचाना जाए?

- सकता है।
- ✓ केवल सहयोग दायित्वों का वर्तमान उल्लंघन सुसंगत हैं। पिछला व्यवहार किसी कारण के रूप में उद्धृत नहीं किया जा सकता है, अगर वर्तमान में सहयोग करने का दायित्व पूरा हो गया है।

# मुझे कहा सहयोग मिल सकता है?

🚨 यदि आपको आवश्यकताओं को पुरा करने और तैयारी के बारे में कोई प्रश्न है, तो परामर्श केंद्र पर जाना या कानुनी सहायता लेना सहायक होगा।

#### निम्नलिखित स्थान आपको मदद कर सकते हैं:

- Sachsen-Anhalt 沖: die Beratungsstellen der Gesonderten Beratung und Betreuung ttps://www.fluechtlingsrat-lsa.de/adressen-und-beratungsstellen/kontakte-landesweit/,
- ▶ das Projekt "Right of Residence" 🗹 https://www.fluechtlingsrat-lsa.de/ueber-uns/projekte/ror/ des Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt e.V.
- 🕨 अन्य सभी राज्यों में: Flüchtlingsräte 🗹 http://www.fluechtlingsrat.de/ वे या तो स्वयं सलाह देते हैं या परा-मर्श केंद्रों को संपर्कों सकते हैं और यदि आवश्यक हो, तो विशेष वकीलों से भी संपर्क कर सकते है।

#### अधिक जानकारी के लिये:

- Gutachten zu Mitwirkungspflichten von Dr. Carsten Hörich und Stud. Iur. Moritz Putzar-Sattler: "Voraussetzungen von Sanktionen bei Nichtmitwirkung im Ausländerrecht"
- https://www.fluechtlingsrat-lsa.de/2017/11/9275/;
- ttps://www.fluechtlingsrat-lsa.de/2018/08/ror-gutachten-zu-aufenthaltsmoeglichkeitennach-dem-asylverfahren





Kurallee 15 · 06114 Halle (Saale)

Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt e.V. Telefon: 0049 345 2260 9515 Mail: ror@fluechtlingsrat-lsa.de WhatsApp: 0049 176 47 600 813 Web: www.fluechtlingsrat-lsa.de/ror/

# आउसबिल्ड्रॅंग विषयक जानकारी

कानूनी विनियमन § 60 ए अन्च्छेद 2 वाक्य 4 के तहत पाया जा सकता है। निवास अधिनियम।

### आउसबिल्ड्रॅंग का मतलब क्या है?

इलड़ँग के विभिन्न प्रकार हैं। आउसबिल्ड्रँग के साथ मैं जर्मनी में प्रशिक्षण की अवधि के लिए रह सकता हूं। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद, मैं पेशे में काम करने के लिए दो साल तक निवास परमिट प्राप्त कर सकता हैं। इसे "3 + 2 विनियमन" कहा जाता है।

# मुझे आउसबिल्ड्रॅंग कब मिल सकता है?

- मेरे पास वर्तमान में इलड़ँग है (अनुच्छेद 60 ए के अनुसार, इलड़ँग पेपर देखें),
- ✓ मैं कम से कम 14 वर्ष का हं कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं है -
- मुझे प्रशिक्षण (आउसबिल्ड्रॅंग) स्थान मिल रहा है:
  - 🗸 अगर यह एक "व्यावसायिक प्रशिक्षण" है। यह एक राज्य द्वारा स्वीकार्य उध्यम या त्लनात्मक रूप से विनि-यमित प्रशिक्षण व्यवसाय में एक कंपनी प्रशिक्षण है। उदाहरण के रूप से यह एक स्कूल व्यावसायिक प्रशिक्षण हो।
  - 🗸 प्रशिक्षण कम से कम 2 साल तक चलना चाहिए। अंत में, यह एक राज्य स्वीकार्य या त्लनीय डिग्री है।
- मेरे पास प्रशिक्षण शुरू करने का सब्त है:
  - हस्ताक्षरित प्रशिक्षण / प्रशिक्षण अनुबंध (कोंट्राक्ट) की मूल और प्रतिलिपि,
  - प्रशिक्षण में भर्ती के पंजीकरण का सब्त (शिक्षा रिजस्टर के अंश),
  - 🕓 या फिर सक्षम प्राधिकारी / कक्ष द्वारा प्रशिक्षण अनुबंध पर सकारात्मक परिणाम (मूल क़ोपी पर "प्रमाणित स्टेम्प") का सब्त,
  - 🕓 या व्यावसायिक स्कूलों या तकनीकी कॉलेजों में व्यावसायिक प्रशिक्षण: राज्य या राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त स्कृल का प्रशिक्षण।
- 🗸 मैंने प्रशिक्षण शुरू कर दिया है या मैं इसे जल्द ही शुरू करूंगा। 🛚 आवेदन जमा होने के बाद प्रशिक्षण शुरू करने के बारे में अलग-अलग राजनीतिक और कानूनी राय हैं।
  - आवेदन और प्रशिक्षण की शुरुआत के बीच का समय संघीय राज्यों में अलग-अलग विनियमित होता है और 6 सप्ताह से 6 महीने तक जा संकता है। कृपया जरूरी समर्थन की तलाश करें।
  - "पूर्व-व्यावसायिक प्रशिक्षण" के लिए प्रशिक्षण की शुरुआत तक अविध के लिए इलड्रॅंग प्राप्त करना संभव है.
- 🗸 मेरे पास पासपोर्ट या विदेशियों के लिए प्रवास-पास या अन्य पहचान पत्र (आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र, पंजीकरण रिकॉर्ड)
- 🖫 या मैं साबित कर सकता हूं कि मेरे पास पासपोर्ट या पहचान पत्र / विदेशियों के लिए प्रवास-पत्र (नया) है। महत्वपूर्ण है कि पासपोर्ट प्राप्त करने के प्रयास साबित करने योग्य हैं: उदाहरण के रूप से मूल देश के दूतावास से मिली लिखित पुष्टि या पासपोर्टिंग के उद्देश्य के लिए मूल देश में सरकारी अधिकारियों के संपर्क के प्रमाण से।
- 🕓 या मैं साबित कर सकता हूं कि निकट भविष्य में मुझे अपने देश के विदेश-मिशन से पहचान का दस्तावेज नहीं मिलेगा और आगे के प्रयास / प्रयास अस्वीकार्य हैं (यानी: मेरे लिए आवश्यक नहीं है)
- 🐤 या पास्पोर्ट ना होने (कमी होने) के मामले में: मैं साबित कर सकता हं कि मैंने पासपोर्ट प्राप्त करने की और मेरी पहचान को स्पष्ट करने के लिए सबक्छ करने की कोशिश की है (यानी, "सहयोग करने के लिए कानूनी दायित्वों का
- अगर मेरी पहचान कानूनी रूप से स्पष्ट है, तो आउसलांडर-बहयोर्ड को मुझे रोजगार परमिट देना होगा।





Kurallee 15 · 06114 Halle (Saale)

Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt e.V. Telefon: 0049 345 2260 9515 Mail: ror@fluechtlingsrat-lsa.de WhatsApp: 0049 176 47 600 813 Web: www.fluechtlingsrat-lsa.de/ror/

# आउसबिल्ड्रॅग विषयक जानकारी

सहयोग करने का दायित्व (MITWIRKUNGSPFLICHT) ज्यादातर पहचान पत्रों से संबंधित / आधारित है।

### यह स्निश्चित करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं कि मेरी सहभागिता को पहचाना जाए?

- 🗸 आउसलांडर-बहयोर्ड मानता है कि मैं इस तथ्य के लिए ज़िम्मेदार हूं कि मुझे निर्वासित (डिपोर्ट) नहीं किया जा सकता है।
- केवल एक का अपना व्यवहार सुसंगत माना जाता है, न कि परिवार के सदस्यों का व्यवहार,
- 🗸 केवल सहयोग दायित्वों का वर्तमान उल्लंघन स्संगत हैं। पिछला व्यवहार किसी कारण के रूप में उद्धृत नहीं किया जा सकता है, अगर वर्तमान में सहयोग करने का दायित्व पूरा हो गया है।

## ! काम की अन्मति (वर्क परमिट) - मैं क्यों प्राप्त नहीं कर सकता?

उदाहरण के लिए, "सामाजिक आहायता प्राप्त करने से माना किया जाना" या 31.08.2015 के बाद आश्रय मिला था और मैं मूल "स्रक्षित" रेटेड देश से आता ह् या "सहयोग करने के दायित्व" (Mitwirkungspflicht) को स्वीकार्य नहीं किया जाता है, इसलिए काम की अन्मति (वॅर्क परमिट) से इनकार किया जा सकता है।

### और क्या महत्वपूर्ण है?

- सभी अनुरोधित दस्तावेजों के साथ आवेदन का समय मायने रखता है।
- सैदांतिक रूप से, सब कुछ साबित होना है।
- कानून के अनुसार सभी आवश्यकताओं और दस्तावेज एक साथ उपस्थित होने चाहिए।
- फिर आउसलांडर-बहयोर्ड (फ़ोरेन कार्यालय) को निवास की अनुमति देनी होगी।

कुछ विनिर्देशों के लिए अपवाद संभव है। आउसलांडर-बह्योर्ड को एक विवेकाधिकार है। विशेष रूप से यदि कोई शैर्त / दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं है क्योंकि मैं इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं हूं।

#### आगे के विनिर्देश

इमिग्रेशन ऑफिस (आउसलांडर-बहयोर्ड) ने अभी तक निवास की अनुमति को समाप्त करने के लिए कोई ठोस कारवाई नहीं शुरू की है।

उदाहरण के रूप से पासपोर्ट प्रतिस्थापन पत्रों के लिए आवेदन या निर्वासन (डिपोर्ट) के लिए पहले से ही एक नियोग है या डबलिन प्रस्त्ति उत्सव।

मुझे कहा सहयोग मिल सकता है? 🎎 यदि आपको आवश्यकताओं को पूरा करने और तैयारी के बारे में कोई प्रश्न है, तो परामर्श केंद्र पर जाना या कानूनी सहायता लेना सहायक होगा।

#### निम्नलिखित स्थान आपको मदद कर सकते हैं:

- 🕨 Sachsen-Anhalt में: die Beratungsstellen der Gesonderten Beratung und Betreuung https://www.fluechtlingsrat-lsa.de/adressen-und-beratungsstellen/kontakte-landesweit/,
- das Projekt "Right of Residence" https://www.fluechtlingsrat-lsa.de/ueber-uns/projekte/ror/ des Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt e.V.;
- 🕨 अन्य सभी राज्यों में: Flüchtlingsräte 🗹 http://www.fluechtlingsrat.de/ वे या तो स्वयं सलाह देते हैं या परामर्श केंद्रों को संपर्कों सकते हैं और यदि आवश्यक हो, तो विशेष वकीलों से भी संपर्क कर सकते है।

#### अधिक जानकारी के लिये:

Gutachten zu Mitwirkungspflichten von Dr. Carsten Hörich und Stud. Iur. Moritz Putzar-Sattler: "Voraussetzungen von Sanktionen bei Nichtmitwirkung im Ausländerrecht" 🗹 https://www.fluechtlingsrat-lsa.de/ 2017/11/9275/; ▶ 🗹 https://www.fluechtlingsrat-lsa.de/2018/08/ror-gutachten-zu-aufenthaltsmoeglichkeitennach-dem-asylverfahren; Arbeitshilfe des Paritätischen Gesamtverband: Ausbildungsduldung nach § 60a Abs. 2 S. 4ff. AufenthG: Praxistipps und Hintergründe von Kirsten Eichler, GGUA Flüchtlingshilfe aus Münster, 2. Auflage August 2018 🗹 https://www.derparitaetische.de/fileadmin/user\_upload/Publikationen/doc/ 2018-08\_ausbildungsduldung-2018\_web.pdf





Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt e.V. Telefon: 0049 345 2260 9515 Mail: ror@fluechtlingsrat-lsa.de Kurallee 15 · 06114 Halle (Saale) WhatsApp: 0049 176 47600 813 Web: www.fluechtlingsrat-lsa.de/ror/

# निवास-अधिकार अधिनियम की जानकारी अन्च्छेद 25 ए निवास अधिनियम के अनुसार

#### निम्नलिखित मुद्दों का निवास-अधिकार के लिए महत्व हैं:

- वर्तमान में मेरे पास इलङ्ग है (अनुच्छेद 60 ए के अनुसार, इलङ्ग पेपर देखें),
- ✓ मैं 14-20 साल के बीच हं और अपने 21 वें जन्मिदन से पहले आवेदन कर रहा हं,
- मैं जर्मनी में कम से कम 4 वर्षों से रहा हं,
- ✓ मैं वर्तमान में और सार्वजिनक कॉलेज या व्यावसायिक स्कूल में कम से कम चार साल से ह्ं
- या मेरे पास पहले से ही एक स्कूल या व्यावसायिक डिग्री है और मैं आर्थिक रूप से ज़्यादातर आत्म निर्भर हो के ख़ुद को पोषित कर सकता हूं या मुझे आजीविका जल्द ही प्राप्त हो सकती है ("सकारात्मक पूर्वानुमान"):
  - 🗸 मैं इन परिस्थितियों में सामाजिक सहायता का हकदार हं: शिक्षा या आउसबिल्ड्रॅंग, नाबालिंग, अकेले माता-पिता की देखभाल करना या करीबी रिश्तेदारों की देखभाले करना
  - 🕓 या मैं बीमार हूं या शारीरिक या मानसिक क्षति है या मेरी उम के कारण काम नहीं कर सकता,
- 🗸 मेरे पास पासपोर्ट या विदेशियों के लिए प्रवास-पास या अन्य पहचान पत्र (आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र, पंजीकरण रिकॉर्ड)
- 🐤 या मैं साबित कर सकता हूं कि मेरे पास पासपोर्ट या पहचान पत्र / विदेशियों के लिए प्रवास-पत्र (नया) है। महत्वपूर्ण है कि पासपोर्ट प्राप्त करने<sup>"</sup>के प्रयास साबित करने योग्य हैं: उदाहरण के रूप से मूल देश के द्**तावास से मिली लिखि**त पृष्टि या पासपोर्टिंग के उद्देश्य के लिए मूल देश में सरकारी अधिकारियों के संपर्क के प्रमाण से।
- 🐤 या मैं साबित कर सकता हूं कि निकट भविष्य में मुझे अपने देश के विदेश-मिशन से पहचान का दस्तावेज नहीं मिलेगा और आगे के प्रयास / प्रयास अस्वीकार्य हैं (यानी: मेरे लिए आवश्यक नहीं है)
- 🐤 या पास्पोर्ट ना होने (कमी होने) के मामले में: मैं साबित कर सकता हूं कि मैंने पासपोर्ट प्राप्त करने की और मेरी पहचान को स्पष्ट करने के लिए सबक्छ करने की कोशिश की है (यानी, "सहयोग करने के लिए कानूनी दायित्वों का पालन करना")।
- ✓ मैं जर्मनी में "मुक्त लोकतांत्रिक मूल आदेश" को स्वीकार करता हुं: इसके लिए मैं आउसलांडर-बहयोर्ड (फ़ोरेन कार्यालय) में दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर कर सकता हूं। दस्तावेज़ को पहले पढ़ना और फिर साइन करना अच्छा होता है,
- ✓ मुझे "कानून, सामाजिक व्यवस्था और जर्मनी में रहने के तौर तरीक़े" पता है। नोट: कृपया परामर्श केंद्र से संपर्क करें क्योंकि आखिरकार सब्त जरूरी है।
- ✓ अपराधों के लिए कोई दोषसिध्धि नहीं है, लेकिन: आपराधिक रिकॉर्ड के साथ भी निवास परिमट का अन्रोध किया जाना चाहिए,





Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt e.V. Telefon: 0049 345 2260 9515 Mail: ror@fluechtlingsrat-lsa.de WhatsApp: 0049 176 47 600 813 Web: www.fluechtlingsrat-lsa.de/ror/

# निवास-अधिकार अधिनियम की जानकारी 25 ए निवास अधिनियम के अन्

सहयोग करने का दायित्व (MITWIRKUNGSPFLICHT) ज्यादातर पहचान पत्रों से संबंधित / आधारित है।

#### यह स्निश्चित करने के लिए मैं क्या कर सकता हं कि मेरी सहभागिता को पहचाना जाए?

- आउसलांडर-बह्योर्ड मानता है कि मैं इस तथ्य के लिए ज़िम्मेदार हुं कि मुझे निर्वासित (डिपोर्ट) नहीं किया जा सकता
- 🗸 केवल सहयोग दायित्वों का वर्तमान उल्लंघन सुसंगत हैं। पिछला व्यवहार किसी कारण के रूप में उद्भुत नहीं किया जा सकता है, अगर वर्तमान में सहयोग करने का दायित्व पूरा हो गया है।

#### और क्या महत्वपूर्ण है?

- सभी अन्रोधित दस्तावेजों के साथ आवेदन का समय मायने रखता है।
- कानून के अनुसार सभी आवश्यकताओं और दस्तावेज एक साथ उपस्थित होने चाहिए।
- फिर आउसलांडर-बहयोर्ड (फ़ोरेन कार्यालय) को निवास की अनुमति देनी होगी।

कुछ विनिर्देशों के लिए अपवाद संभव है। आउसलांडर-बह्योर्ड को एक विवेकाधिकार है। विशेष रूप से यदि कोई शर्त / दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं है क्योंकि मैं (आउसलांडर-बहयोर्ड) इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं हूं।

#### मुझे कहा सहयोग मिल सकता है?

🚨 यदि आपको आवश्यकताओं को पूरा करने और तैयारी के बारे में कोई प्रश्न है, तो परामर्श केंद्र पर जाना या कानूनी सहायता लेना सहायक होगा।

#### निम्नलिखित स्थान आपको मदद कर सकते हैं:

- 🕨 Sachsen-Anhalt में: die Beratungsstellen der Gesonderten Beratung und Betreuung
- https://www.fluechtlingsrat-lsa.de/adressen-und-beratungsstellen/kontakte-landesweit/,
- das Projekt "Right of Residence" https://www.fluechtlingsrat-lsa.de/ueber-uns/projekte/ror/ des Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt e.V.
- 🕨 अन्य सभी राज्यों में: Flüchtlingsräte 🗹 http://www.fluechtlingsrat.de/ वे या तो स्वयं सलाह देते हैं या परामर्श केंद्रों को संपर्कों सकते हैं और यदि आवश्यक हो, तो विशेष वकीलों से भी संपर्क कर सकते है।

#### अधिक जानकारी के लिये:

- Gutachten zu Mitwirkungspflichten von Dr. Carsten Hörich und Stud. Iur. Moritz Putzar-Sattler: "Voraussetzungen von Sanktionen bei Nichtmitwirkung im Ausländerrecht"
- ☑ https://www.fluechtlingsrat-lsa.de/2018/08/ror-gutachten-zu-aufenthaltsmoeglichkeiten-nach-demasylverfahren;
- ☑ https://www.der-paritaetische.de/fileadmin/user\_upload/Publikationen/doc/2017-11-13\_ bleiberecht-2017\_web.pdf





Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt e.V. Telefon: 0049 345 2260 9515 Mail: ror@fluechtlingsrat-lsa.de Kurallee 15 · 06114 Halle (Saale) WhatsApp: 0049 176 47600 813 Web: www.fluechtlingsrat-lsa.de/ror/

# निवास-अधिकार अधिनियम की जानकारी अन्च्छेद 25 बी निवास अधिनियम के अनुसार

### निम्नलिखित मुद्दों का निवास-अधिकार के लिए महत्व हैं:

- ✓ वर्तमान में मेरे पास इलड्ँग है (अनुच्छेद 60 ए के अनुसार, इलड्ँग पेपर देखें),
- ┕ या मैं कम से कम 8 सालों से जर्मनी में हं, जब मैं अकेला रहता हं
- या मैं कम से कम 6 सालों से जर्मनी में हूं, जब मैं एक नाबालिग बच्चे (न केवल सगे बच्चो, बल्कि देखभाल करने वालों और सौतेले बच्चो) के साथ रहता हं,
- 🗸 मैं आर्थिक रूप से (50% से अधिक) आत्म निर्भर हो के ख़ुद को पोषित कर सकता है या मुझे आजीविका जल्द ही प्राप्त हो सकती है ("सकारात्मक पूर्वानुमान"):
  - 🗸 मैं इन परिस्थितियों में सामाजिक सहायता का हकदार हं: शिक्षा या आउसबिल्ड्रॅंग, नाबालिग, अकेले माता-पिता की देखभाल करना या करीबी रिश्तेदारों की देखभाल करना
  - ┕ या मैं बीमार हूं या शारीरिक या मानसिक क्षति है या मेरी उम्र के कारण काम नहीं कर सकता,
- 🗸 मेरे पास पासपोर्ट या विदेशियों के लिए प्रवास-पास या अन्य पहचान पत्र (आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र, पंजीकरण रिकॉर्ड)
- 🐤 या मैं साबित कर सकता हूं कि मेरे पास पासपोर्ट या पहचान पत्र / विदेशियों के लिए प्रवास-पत्र (नया) है। महत्वपूर्ण है कि पासपोर्ट प्राप्त करने के प्रयास साबित करने योग्य हैं: उदाहरण के रूप से मूल देश के दूतावास से मिली लिखित पुष्टि या पासपोर्टिंग के उद्देश्य के लिए मूल देश में सरकारी अधिकारियों के संपर्क के प्रमाण से।
- 🕓 या मैं साबित कर सकता हूं कि निकट भविष्य में मुझे अपने देश के विदेश-मिशन से पहचान का दस्तावेज नहीं मिलेगा और आगे के प्रयासे / प्रयास अस्वीकार्य हैं (यानी: मेरे लिए आवश्यक नहीं है)
- 🐤 या पास्पोर्ट ना होने (कमी होने) के मामले में: मैं साबित कर सकता हं कि मैंने पासपोर्ट प्राप्त करने की और मेरी पहचान को स्पष्ट करने के लिए सबक्छ करने की कोशिश की है (यानी, "सहयोग करने के लिए कानूनी दायित्वों का पालन करना")।
- ✓ मुझे जर्मन भाषा का मौखिक ज्ञान ए २ (A2) लेवल तक है,
- अगर मेरे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें स्कूल जाना पड़ता है, तो मैं बच्चों की स्कूल उपस्थिति साबित कर सकता हं,
- अपराधों के लिए कोई दोषसिध्धि नहीं है, लेकिन: आपराधिक रिकॉर्ड के साथ भी निवास परिमट का अन्रोध किया
- ✓ मैं जर्मनी में "मुक्त लोकतांत्रिक मूल आदेश" को स्वीकार करता हुं: इसके लिए मैं आउसलांडर-बहयोर्ड (फ़ोरेन कार्यालय) में दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर कर सकता हूं। दस्तावेज़ को पहले पढ़नों और फिर साइन करना अच्छा होता है,
- मुझे "कानून, सामाजिक व्यवस्था और जर्मनी में रहने के तौर तरीक़े" पता है। नोट: कृपया परामर्श केंद्र से संपर्क करें क्योंकि आखिरकार सब्त जरूरी है।





Kurallee 15 · 06114 Halle (Saale)

Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt e.V. Telefon: 0049 345 2260 9515 Mail: ror@fluechtlingsrat-lsa.de WhatsApp: 0049 176 47 600 813 Web: www.fluechtlingsrat-lsa.de/ror/

# निवास-अधिकार अधिनियम की जानकारी अन्च्छेद 25 बी निवास अधिनियम के अनुसार

सहयोग करने का दायित्व (MITWIRKUNGSPFLICHT) ज्यादातर पहचान पत्रों से संबंधित / आधारित है।

### यह सुनिश्चित करने के लिए मैं क्या कर सकता हं कि मेरी सहभागिता को पहचाना जाए?

- आउसलांडर-बह्योर्ड मानता है कि मैं इस तथ्य के लिए ज़िम्मेदार हूं कि मुझे निर्वासित (डिपोर्ट) नहीं किया जा सकता
- ✓ केवल एक का अपना व्यवहार स्संगत माना जाता है, न कि परिवार के सदस्यों का व्यवहार,
- केवल सहयोग दायित्वों का वर्तमान उल्लंघन सुसंगत हैं। पिछला व्यवहार किसी कारण के रूप में उद्धृत नहीं किया जा सकता है, अगर वर्तमान में सहयोग करने का दायित्व पूरा हो गया है।

#### और क्या महत्वपूर्ण है?

- सभी अनुरोधित दस्तावेजों के साथ आवेदन का समय मायने रखता है।
- कानून के अनुसार सभी आवश्यकताओं और दस्तावेज एक साथ उपस्थित होने चाहिए।
- फिर आउसलांडर-बहयोर्ड (फ़ोरेन कार्यालय) को निवास की अनुमति देनी होगी। कछ विनिर्देशों के लिए अपवाद संभव है। आउसलांडर-बह्योर्ड को एक विवेकाधिकार है। विशेष रूप से यदि कोई शॅर्त / दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं है क्योंकि मैं इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं हं।

### मुझे कहा सहयोग मिल सकता है?

矗 यदि आपको आवश्यकताओं को पूरा करने और तैयारी के बारे में कोई प्रश्न है, तो परामर्श केंद्र पर जाना या कानूनी सहायता लेना सहायक होगा।

#### निम्नलिखित स्थान आपको मदद कर सकते हैं:

- 🕨 Sachsen-Anhalt में: die Beratungsstellen der Gesonderten Beratung und Betreuung triangle in the street of the street in the
- das Projekt "Right of Residence" Thttps://www.fluechtlingsrat-lsa.de/ueber-uns/projekte/ror/ des Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt e.V.;
- 🕨 अन्य सभी राज्यों में: Flüchtlingsräte 🗹 http://www.fluechtlingsrat.de/ वे या तो स्वयं सलाह देते हैं या परामर्श केंद्रों को संपर्कों सकते हैं और यदि आवश्यक हो, तो विशेष वकीलों से भी संपर्क कर सकते है।

#### अधिक जानकारी के लिये:

- Gutachten zu Mitwirkungspflichten von Dr. Carsten Hörich und Stud. Iur. Moritz Putzar-Sattler:
- "Voraussetzungen von Sanktionen bei Nichtmitwirkung im Ausländerrecht"
- ☑ https://www.fluechtlingsrat-lsa.de/2018/08/ror-gutachten-zu-aufenthaltsmoeglichkeiten-nach-demasylverfahren;
- ☑ https://www.der-paritaetische.de/fileadmin/user\_upload/Publikationen/doc/2017-11-13\_ bleiberecht-2017\_web.pdf

